

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम :- ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

(वन पंचायत, ऊखीमठ)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0/ 
Executive Engineer
Const. Division
प्रयोक्ता एजेन्सी
Uttarakhand Peypal Sanshadhan Vikash
Evam Nirman Nigam, Rudraprayag

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया जायेगा।